IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:–एफ4(54) पट्टाअभि./ विधि/पंरा/2017/368 जयपुर दिनांक:04-5-2017

ज़िला कलेक्टर,
समस्त ।

विषयः– 'न्याय आपके द्वार'' राजस्व लोक अदालत कार्यक्रम के संबंध में।

जैसा कि आपको विदित है कि दिनांक 14.4.2017 से समस्त ग्राम पंचायतों में **''दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान''** कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जो दिनांक 12.07.2017 तक आयोजित किया जावेगा। राजस्व विभाग द्वारा राजस्व लोक अदालत **''न्याय आपके द्वार''** कार्यक्रम दिनांक 8.5.2017 से 30.6.2017 तक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि दोनो ही अभियानों में मुख्य रूप से पंचायती राज विभाग एवं राजस्व विभाग की ही भूमिका है। अतः प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से यह उपयुक्त होगा कि दोनो शिविर ग्राम पंचायतों में एक ही दिवस को आयोजित हो। चूंकि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान का कार्यक्रम पूर्व में ही जारी किया जा चुका है जबकि न्याय आपके द्वार कार्यक्रम की ग्राम पंचायतवार तिथियों का निर्धारण अब किया जाना है। अतः न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के शिविरों की दिनांक निश्चित करते समय यह प्रयास करें कि ग्राम पंचायतों में दोनो कार्यक्रम के शिविरों का आयोजन एक ही दिवस में हो।

4.5.2017

अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः– प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने स्तर से भी जिला कलक्टर्स को निर्देशित करने का श्रम करावें ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव